न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—155/2019/225 (2019/00155)

1. छोटू पुत्र लादू, जाति गुर्जर, निवासी पिलानी, पोस्ट सरमालिया, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. मंगला पुत्र स्व0 हरीराम,
2. राजू पुत्र स्व0 हरीराम,
3. श्रीमती शांति पत्नि पुत्र स्व0 हरीराम,
4. प्रेम पुत्री स्व0 हरीराम,
5. गोविन्द पुत्र प्रताप,
   समस्त जाति गुर्जर, निवासी पिलानी, पोस्ट सरमालिया, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

7. उगममल पुत्र लादू,
8. श्रीमती रमती पत्नि लादू,
   दोनों जाति गुर्जर, नि0 पिलानी, पोस्ट सरमालिया, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर, दिनांक 18.3.2019 अंतर्गत प्रकरण संख्या 12/2017.

उपस्थितः—

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांट ।
2. श्री सुभाष निम्बावत, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 5.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 6.

निर्णय

दिनांकः— 18.10.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के आदेश दिनांक 18.3.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 21 नियम 11 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित डिक्री दिनांक 29.7.2008 व संशोधित डिक्री दिनांक 6.7.2010 अनुसार राजस्व अभिलेखों में आवश्यक संशोधन किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपीलांट का इजराय प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 18.3.2019 को खारिज करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. अपील के विचाराधीन रहते विद्वान वकील रेस्पो0 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील कानूनी प्रावधानों के विपरीत है । धारा 22 राज0काश्त0अधि0 व आदेश 43 नियम 1 जा0दी0 में इजराय की कार्यवाही को अपील के संबंध में किसी प्रकार की अपील का कोई प्रावधान नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 151 जा0दी0 स्वीकार कर अपील संधारण योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर निरस्त की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट द्वज्ञरा धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत वाद पेश किया गया था जिसे अधी0न्याया0 ने दिनाक 29.7.2008 को राजीनामे आधार पर डिक्री किया था । उक्त निर्णय व डिक्री की पालना हेतु अधी0न्याया0 के समक्ष आवेदन पत्र इजराय पेश किया गया जिस पर अधी0न्याया0 द्वारा आदेश दिनांक 18.3.2019 को पारित कर आवेदन पत्र खारिज किया गया है इस कारण धारा 225 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश की गई अपील पोषणीय है । अतः रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 जा0दी0 निरस्त किया जावे ।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अपीलाधीन भूमि ग्राम पिलानी तहसील ब्यावर स्थित भूमि के खातेदार लादू व प्रताप थे जिनका स्वर्गवास हो चुका है, लादू के वारिसान अपीलांट एवं प्रफोमा रेस्पो0 संख्या 7 व 8 है तथा प्रताप का भी स्वर्गवास हो चुका है । प्रताप का एक पुत्र हरीराम था जिसका भी स्वर्गवास हो चुका है । प्रताप के वारिसान रेस्पो0 संख्या 1 से 5 है । अपीलाधीन भूमि में 1/2 हिस्सा लादू का एवं 1/2 हिस्सा प्रताप का था तथा संयुक्त रूप से काश्त की जाती रही है परन्तु भू–प्रबंध विभाग के द्वारा जमाबंदी में सहवन से अपीलाधीन भूमि का इंद्रांज 1/2 हिस्सा लादू के वारिसान अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 7 व 8 के नाम ही दर्ज नहीं कर संपूर्ण आराजी रेस्पो0 संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज कर दी गई । उक्त गलत इंद्राज को दुरूस्त किये जाने हेतु अपीलांट/वादी द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद पेश किया गया । उक्त वाद में पक्षकारान के द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिस पर अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन भूमि में 1/2 हिस्सा लादू के वारिसान वादीगण यानि अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 7 व 8 के नाम तथा 1/2 हिस्सा रेस्पो0 संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज कर करने आदेश व डिक्री दिनांक 29.7.2008 को पारित की, किन्तु अधी0न्याया0 के आदेश व डिक्री दिनांक 29.7.2008 की पालना वादपत्र के अनुसार प्रतिवादी संख्या 3 राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर के द्वारा नहीं की गई । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि वादी संख्या 2 रायमल जो कि लाऔलाद फौता हो चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 1 हरिराम का भी स्वर्गवास हो चुका है के वारिसान रेस्पो0 संख्या 1 से 4 है । अधी0न्याया0 ने वादीगण का इजराय प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया है कि प्रकरण मे सरकारी खसरा नंबर होने से रकबे का मिलान नही होने एवं खसरा नंबर 35 रकबा 1 बीघा सुन्दरी पत्नि मिश्रीलाल कौम गुर्जर खातेदार दर्ज है, को आधार मानकर अधी0न्याया0 द्वारा आवेदन पत्र निरस्त किया गया है जो कि विधिक त्रुटि है एवं इजराय आवेदन पत्र को इस आधार पर निरस्त किए जाने का कोई अधिकार अधी0न्याया0 को नहीं था । अधी0न्याया0 के द्वारा पारित आदेश व डिक्री

की पालना सुनिश्चित किया जाना वांछित था । बहस में यह भी निवेदन किया कि यदि जमाबंदी एवं डिक्री के रकबे में भिन्नता थी तो अधी0न्याया0 को पक्षकारान को पुनः सुनकर निर्णय व में डिक्री में संशोधन किया जाकर निर्णय की पालना किया जाना चाहिये था । अधी0न्याया0 ने इजराय प्रार्थना पत्र निरस्त कर नवीन वाद प्रस्तुत करने बाबत् निष्कर्ष दिया जाना भी गलत है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाये जाने के आदेश प्रदान करावे ।

7. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 5 ने जवाब बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । अपीलांट द्वारा इजराय प्रार्थना पत्र के विरूद्ध धारा 225 राज0काश्त0अधि0 में पेश की गई अपील संधारण योग्य नहीं है । अतः अपील खारिज की जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । सर्वप्रथम रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 जा0दी0 का निस्तारण करना उचित समझते है । इस प्रार्थना पत्र में रेस्पो0 ने यह आपत्ति उठाई है कि अधी0न्याया0 के आदेश के विरूद्ध धारा 225 राज0काश्त0अधि0 व आदेश 43 नियम 1 जा0दी0 के तहत अपील पोषणीय नहीं है । विरोध में विद्वान वकील अपीलांट का तर्क है कि धारा 225 राज0काश्त0अधि0 के तहत पोषणीय है । इस संबंध में धारा 225 का अवलोकन किया गया । धारा 225 (1) के अनुसार '' (1) तृतीय परिशिष्ट में उल्लेखित प्रकृति के आवेदन पत्र पर पारित अंतिम आदेश तथा ऐसे आदेश जो कि इस अधि0 की धारा 212 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 104 में उल्लेखित है, के विरूद्ध अपील– (1) यदि आदेश तहसीलदार ने दिया है तो जिला कलक्टर के यहां, (2) यदि ऐसा आदेश सहायक कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी या जिला कलक्टर ने दिया है तो राजस्व अपील प्राधिकारी को, (3) यदि ऐसा आदेश राजस्व अपील प्राधिकारी ने दिया है तो राजस्व मण्डल को होगी । ''

9. उपरोक्त सब–सेक्शन 2 के अनुसार यदि कोई भी आदेश सहायक कलक्टर अथवा उपखण्ड अधिकारी अथवा जिला कलक्टर के द्वारा पारित किया गया है तो उसकी अपील धारा 225 राज0काश्त0अधि0 के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष पोषणीय है । उपरोक्त उपबंध के अनुसार रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 जा0दी0 निरस्त योग्य होने से निरस्त किया जाता है ।

10. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलाधीन भूमि में अपीलांट का 1/2 एवं प्रफोर्मा रेस्पे0 संख्या 7 व 8 का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का 1/2 हिस्सा पक्षकारान के राजीनामा के आधार पर आदेश व डिक्री दिनांक 29.7.2008 को पारित की गई है । उक्त डिक्री की पालना हेतु अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया गया। डिक्री की पालना करने का दायित्व अधी0न्याया0 का था परन्तु अधी0न्याया0 द्वारा यह कथन करते हुए कि खसरा नंबर 35 रकबा 1 बीघा सुन्दरी पत्नि मिश्रीलाल के नाम दर्ज है । इस कारण पालना नहीं हो सकती है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 29.7.2008 को अपीलांट तथा प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 7 व 8 को विवादित आराजियात जिसमें खसरा नंबर 35 भी सम्मिलित है, में आधे हिस्से का खातेदार काश्तकार तथा रेस्पो0 संख्या 1 से 5 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया है । रेस्पो0 संख्या 1 से 5 ने श्रीमती सुन्दरी पत्नि मिश्रीलाल को खसरा नंबर 35 रकबा 1 बीघा संपूर्ण भूमि का विक्रय किया है जो प्रथमदृष्टया ही डिक्री के विपरीत है

जबकि डिक्री अनुसार 1/2 हिस्सा वादीगण/अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 7 व 8 का था । इस प्रकार रेस्पो0 को खसरा नंबर 35 संपूर्ण का विक्रय करने का अधिकार नहीं था । श्रीमती सुन्दरी केवल खसरा नंबर 35 रकबा 1 बीघा में केवल आधे हिस्से की ही खातेदार मानी जा सकती है तथा शेष आधे हिस्से का खातेदार अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 7 व 8 को दर्ज करना चाहिये था । अधी0न्याया0 को इसी अनुसार पालना करवाई जानी चाहिये थी । जहां तक खसरा नंबर 198/1 रकबा 3 बीघा का प्रश्न है यदि राजस्व अभिलेख में खसरा नंबर 198/1 रकबा 1–10–00 अंकित है तो उसमें भी राजस्व जमाबंदी के अनुसार 1–10–00 अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 7 व 8 का आधा हिस्सा एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 5 का दर्ज कर पालना करवानी चाहिये थी । इसी प्रकार जहां तक खसरा नंबर 125 रकबा 3–3–00 का प्रश्न है यदि खसरा नंबर 125 में 3 बिस्वा भूमि अवाप्त की जा चुकी है तो शेष रहा रकबा 3 बीघा में अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 7 व 8 का आधा हिस्सा एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 5 का आधा हिस्सा दर्ज किया जा सकता था । इसी प्रकार खसरा नंबर 193 राजस्व अभिलेख में 2 बीघा के स्थान पर 2 बिस्वा दर्ज है तो उपरोक्तानुसार आधी–आधी दर्ज की जा सकती थी । इसी प्रकार खसरा नंबर 120/2 में भी जमाबंदी के अनुसार दर्ज रकबे के अनुसार आधी–आधी दर्ज की जा सकती थी । इसी प्रकार अन्य खसरा नंबरान में भी डिक्री एवं जमाबंदी में भिन्न है तो भी अधी0न्याया0 का यह दायित्व था कि जमाबंदी के अुनसार दर्ज रकबा यदि पारित निर्णय व डिक्री से मिलान नहीं होता तो राजस्व जमाबंदी के अनुसार डिक्री संशोधित कर पालना की जानी चाहिये थी । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.7.2008 की पालना करने का दायित्व अधी0न्याया0 का है । यदि पारित डिक्री एवं राजस्व जमाबंदी में रकबे की भिन्नता है तो पक्षकारान को सुनकर डिक्री संशोधित कर पालना की जानी चाहिये थी । अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत् नहीं होने से निरस्त किया जाता है तथा उपरोक्त विवेचन के अनुसार अधी0न्याया0 डिक्री संशोधित कर निर्णय व डिक्री की पालना सुनिश्चित करने हेतु प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

11. अतः अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.3.2019 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे पक्षकारान को सुनकर डिक्री दिनांक 29.7.2008 में तद्नुसार संशोधन कर पालना करवाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 18.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर